समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्पः– भोपाल (म0प्र0)

R-4241-PBR/14 पुनरीक्षण क्रं. ..../14

भैरो सिंह उम्र लगभग 59 वर्ष,
पुत्र स्व0 श्री बलजीराम, निवासीः–
ग्राम खजूरीकला, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म0प्र0) --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. प्रताप सिंह उम्र लगभग 62 वर्ष,
02. लक्ष्मण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष,
03. प्रीतम सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष,
तीनों पुत्रगण स्व0 श्री मर्दन सिंह,
04. सावंत सिंह उम्र लगभग 65 वर्ष,
पुत्र स्व0 श्री भंवरजी,
05. चन्नी बाई उम्र लगभग 35 वर्ष,
पुत्री स्व0 श्री परसराम,
समस्त निवासीगणः– ग्राम खजूरीकलां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0) --- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता माननीय राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना महाराणा प्रताप नगर वृत्त भोपाल के प्रकरण क्रं. 40/अ–12/13–14 (प्रताप सिंह एवं अन्य विरूद्ध सर्व साधारण) में की गयी संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही सहित आदेश दिनांकित 08/06/14, जिसकी सर्व प्रथम जानकारी निगरानीकर्ता को इन समस्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियाँ दिनांक 27/11/14 को प्राप्त किये जाने पर विदित हुयी है, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य.

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 20/05/14 को तथाकथित रूप से प्रताप सिंह आत्मज स्व0 मर्दन सिंह नामक व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र को आधार बनाकर भूमि खसरा क्रं. 752/1 से लगायत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4241-PBR/14 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, राज.परि. एम.पी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-06-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, राज.परि. एम.पी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	